



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102026-277429
CG-DL-E-26102026-277429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5564]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 26, 2026/कार्तिक 4, 1948

No. 5564]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2026/KARTIKA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5781(अ).— यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68), की धारा 11 के तहत जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2002 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27) के किमी 80.00 से किमी 256.00 (मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा-शिवपुरी से भोगनीपुर खंड) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शुल्क अधिसूचना का.आ. 2909 (अ) दिनांक 09 सितंबर 2016 और का.आ. 1880 (अ) दिनांक 13 जुलाई 2015 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 के झांसी-ओरई खंड के किमी 1380.300 से किमी 1515.713 (एन एच -25 के पुराने चेनेज किमी 90.300 से किमी 225.713) तक के चार-लेन वाले खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 85.639 किमी की निवल सड़क लंबाई [सारणी-2] और 4.820 [सारणी-4] (0.482 किमी लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर से और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले

49.292 किमी लंबाई वाले बाईपास [सारणी -3] के लिए आधार दर के डेढ़ गुणा दर से शुल्क उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी – 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है [(बाईपास की लंबाई (≥10 करोड़ रुपए लागत) और(>60 मीटर)] संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर	जिस दर पर शुल्क संदेय है
झांसी जिले (यूपी) के सेमरी गांव के पास एनएच 27 के किमी. 1430.400 पर (एनएच- 25 के पुराने किमी 140.400)।	38.550	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 100%।
जिला जालौन (यूपी) में गांव ऐट के पास एनएच 27 के 1477.500 किमी पर (एनएच- 25 के पुराने किमी 187.500) ।	47.089	
कुल	85.639	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा : -

सारणी -3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबी संरचना को छोड़कर) और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		जिस दर पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपये में)	
झांसी जिले (उत्तर प्रदेश) के सेमरी गांव के पास एनएच 27 के किमी. 1430.400 पर (एनएच-25 के पुराने किमी 140.400)।	झांसी	किमी 1380.300(पुराना किमी 90.300)	किमी 1396.175 (पुराना किमी 106.175)	15.486	109.83	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 150%।
	चिरगांव	किमी 1417.97(पुराना किमी 127.970)	किमी 1424.395(पुराना किमी 134.395)	6.425	39.06	
	मोथ	किमी 1441.15(पुराना किमी 151.150)	किमी 1447.85(पुराना किमी 157.850)	6.700	40.73	
जिला जालौन (यूपी) में गांव ऐट के पास एनएच 27 के 1477.500 किमी पर (एनएच-25 के पुराने किमी 187.500)।	आइत	किमी 1478.075(पुराना किमी 188.075)	किमी 1482.299(पुराना किमी 192.299)	4.224	24.92	
	ओरई	किमी 1498.199(पुराना किमी 208.199)	किमी 1514.749(पुराना किमी 224.749)	16.457	97.65	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके संरचनाओं की लंबाई को राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी -4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
झांसी जिले (उत्तर प्रदेश) के सेमरी गांव के पास एनएच 27 के किमी. 1430.400 पर (एनएच-25 के पुराने किमी 140.400)।	0.389 [^]	3.890	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 100%

जिला जालौन (यूपी) में गांव ऐट के पास एनएच 27 के 1477.500 किमी पर (एनएच-25 के पुराने किमी 187.500)।	0.093 [^]	0.930	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दर का 100% ऊपर।
कुल	0.482	4.820	

[^]60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
(i)	1382.230(पुराना किमी 92.230)	1382.350 (पुराना किमी 92.350)	बड़ा पुल	0.120
(ii)	1386.320(पुराना किमी 96.320)	1386.469 (पुराना किमी 96.4691)	आर ओ बी	0.149
(iii)	1391.458(पुराना किमी 101.458)	1391.578 (पुराना किमी 101.5775))	आर ओ बी	0.120
(iv)	1513.585(पुराना किमी 223.585)	1513.678 (पुराना किमी 223.678)	आर ओ बी	0.093
कुल लंबाई				0.482

4. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.000 रुपये (तीन सौ साठ रुपये मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी - 5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफ़ा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमाम्यता की अवधि
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तिथि से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए कथित नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क देना होगा।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार प्रयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
10. उपर्युक्त सारणी -1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 617.82 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. यूपीडीआईवी -20018/34/2025- पीआईयू झांसी-भाग(2)/ई -268738]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2026

S.O. 5781(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 465(E) dated 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 80.00 to km 256.00 (MP/UP Border-Shivpuri to Bhognipur section of National Highway No. 25 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of user fee notification published vide S.O. 2909(E) dated 09th September 2016 the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 85.639 Km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 4.820 Km (having length of 0.482 Km) [Table-4] and one and half times of the base rate for bypass having length of 49.292 Km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four lane of Jhansi – Orai Section of NH-27 from Km. 1380.300 to 1515.713 (Old Chainage from km 90.300 to km 225.713 of NH-25) in the State of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, as under:-

TABLE-1	
Type of Vehicle	Base rate of the fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:-

TABLE-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable [Excluding length of bypass (costing ≥ Rs. 10 Cr.) & length of structure (>60m)]	Rate at which fee is payable
At Km. 1430.400 of NH 27 (old km 140.400 of NH-25) near Village Semri in District Jhansi (UP).	38.550	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km. 1477.500 of NH 27 (old km 187.500 of NH-25) near Village Ait in District Jalaun (UP).	47.089	
Total	85.639	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

TABLE-3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging at	Length [Excluding length of structures (> 60m)] and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km)	Cost (in Rs. Cr.)	
At Km. 1430.400 of NH 27 (old km 140.400 of NH-25) near Village Semri in District Jhansi (UP).	Jhansi	Km 1380.300 (Old km 90.300)	Km 1396.175 (Old km 106.175)	15.486	109.83	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.
	Chirgaon	Km 1417.97 (Old km 127.970)	Km 1424.395 (Old km 134.395)	6.425	39.06	
	Moth	Km 1441.15 (Old km 151.150)	Km 1447.85 (Old km 157.850)	6.700	40.73	
At Km. 1477.500 of NH 27 (old km 187.500 of NH-25) near Village Ait in District Jalaun (UP).	Ait	Km 1478.075 (Old km 188.075)	Km 1482.299 (Old km 192.299)	4.224	24.92	
	Orai	Km 1498.199 (Old km 208.199)	Km 1514.749 (Old km 224.749)	16.457	97.65	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

TABLE-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km. 1430.400 of NH 27 (old km 140.400 of NH-25) near Village Semri in District Jhansi (UP).	0.389 [^]	3.890	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table – 1 above.
At Km. 1477.500 of NH 27 (old km 187.500 of NH-25) near Village Ait in District Jalaun (UP).	0.093 [^]	0.930	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table – 1 above.
Total	0.482	4.820	

[^]The details of structures (> 60m length) are as under: -

Sr. No.	Chainage		Type of structure	Length (in km)
	From Km.	To Km.		
(i)	1382.230 (Old km 92.230)	1382.350 (Old km 92.350)	Major Bridge	0.120
(ii)	1386.320 (Old km 96.320)	1386.469 (Old km 96.4691)	ROB	0.149
(iii)	1391.458 (Old km 101.458)	1391.578 (Old km 101.5775)	ROB	0.120
(iv)	1513.585 (Old km 223.585)	1513.678 (Old km 223.678)	ROB	0.093
Total length				0.482

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 360.000 (Rupees Three Hundred Sixty only) for the year 2026-2027 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

TABLE-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language. Assess the rate of monthly pass for the financial year of publication of the notification.
11. The estimated capital cost of the project is **Rupees 617.82 Crores**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. UPDIV-20018/34/2025-PIU Jhansi-Part(2) /E-268738]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.